न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 1062–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 04 मार्च, 15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक अपील 572/बी–121/2012–13.

———

श्रीमती रामकली यादव (मृत) द्वारा – वारिसान

1– स्वामीदीन यादव उम्र लगभग 65 वर्ष
2– शिवराज सिंह यादव उम्र लगभग 55 वर्ष
3– कृष्णपाल सिंह यादव उम्र लगभग 45 वर्ष
4– श्रीमती द्रोपति यादव उम्र लगभग 50 वर्ष
5– श्रीमती निती यादव उम्र लगभग 48 वर्ष
उपरोक्त समस्त आत्मज स्व0 श्री रामसिंह यादव
सभी निवासी ग्राम ककरहटी तहसील देवेन्द्र नगर
जिला पन्ना म0प्र0 ——— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– रामवहादुर पिडहा आत्मज रामधनी पिडहा
निवासी ग्राम ककरहटी तहसील देवेन्द्र नगर
जिला पन्ना
2– मध्य प्रदेश शासन ——— प्रत्यर्थीगण

———

श्री के0 के0 द्विवेदी, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण.
श्री डी0के0 शुक्ला, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी कमांक–2.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12–1–17 को पारित)

———

यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक अपील 572/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04–3–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27–7–09 को एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ककरहटी तहसील देवेन्द्रनगर स्थित भूमि खसरा नं. 488 रकबा 10.46 एकड़ भूमि पर अपीलार्थीगण की पूर्वाधिकारी श्रीमती रामकली ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपना नाम दर्ज करा लिए जाने पर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–92 के आधार पर कुछ बिंदओुं की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका (श्रीमती रामकली) द्वारा अपर आयुक्त, सागर एवं राजस्व मंडल ग्वालियर में निगरानी पेश की गई जो खारिज होने पर माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 6543/2001 में पारित आदेश दिनांक 1–7–08 के मुताबिक पिटीशन खारिज करते हुए कलेक्टर के आदेश का पालन 6 माह के अंदर आदेश पारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन अभी तक नहीं हुआ है । अतः निर्देशानुसार जांच कर आदेश पारित किया जाये । उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर उभयपक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी के नाम दर्ज भूमि को म0प्र0 शासन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों को यह देखना चाहिए था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि के संबंध में जांच हेतु निर्देशित किया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश के परिपालन में कोई जांच नहीं की । अपर आयुक्त द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अन्य साक्ष्य का परिशीलन किए बिना आदेश पारित किया है जबकि अपीलार्थीगण के पूर्वजों को प्रदत्त पट्टा दिनांक 17–12–59 एवं नायब तहसीलदार, गुनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–75 का परिशीलन करना चाहिए था एवं माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 पन्ना के आदेश दिनांक 7–9–83 का अध्ययन किये बिना आदेश पारित किया है । विचारण न्यायालय को कलेक्टर, पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–5–87 एवं अपर आयुक्त, सागर के आदेश दिनांक 24–9–87 का भी अध्ययन करना चाहिए था ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को अपीलार्थीगण के कब्जे व स्वत्व के संबंध में नियमानुसार मौके की जांच या अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार प्रतिवेदन बुलाया जाकर तत्संबंधित साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था किंतु उक्त आवश्यक प्रकिया के विपरीत बिना जांच किए हुए मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को इस बिंदु पर भी विचार करना चाहिए था कि पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है तब पुनः उसी भूमि के संबंध में दोबारा विपरीत आदेश कैसे पारित किया जा सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रांग्य न्याय (Resjudicata)का सिद्धांत लागू होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया कि सन् 1963 से लेकर अभी तक अनेक न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये हैं । राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा दिनांक 10–5–1988 को भी उक्त भूमि के संबंध में स्वत्व व कब्जे के संबंध में आदेश पारित किया गया है जिसमें यह मान्य किया गया है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा विधि अनुसार स्वत्व के आधार पर कब्जे में है किंतु इस न्यायालय के प्रभावशील आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी विपरीत आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालयों ने वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के विपरीत अवैध व प्रकियाविहीन आदेश पारित किए हैं जो प्रारंभ से ही शून्य व अवैध होने से निरस्ती योग्य हैं ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए यह पाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नं. 354/2 में 10.46 एकड़ रकबे की अवैध रूप से वृद्धि दर्ज कराई गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं

द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित संपत्ति के संबंध में सर्वप्रथम नायब तहसीलदार, पन्ना ने राजस्व प्रकरण कमांक 14/अ–19/1984–85 में दिनांक 9–12–1986 को आदेश पारित करते हुए अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमि के संबंध में अधिकारहीन आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध निगरानी कमांक 14/अ–19/1986–87 रामकली बनाम रामबहादुर वगैरह कलेक्टर, पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी उक्त निगरानी प्रकरण में दिनांक 2–5–1987 को आदेश पारित किया जाकर वादग्रस्त आराजी का स्वामी अपीलार्थीगण को माना है । कलेक्टर, पन्ना द्वारा पारित निगरानी आदेश दिनांक 2–5–1987 के विरूद्ध प्रत्यर्थी राम बहादुर ने अतिरिक्त आयुक्त, सागर के न्यायालय में निगरानी कमांक 381/अ–129/86–87 पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 24–9–87 को आदेश पारित करते हुए यह निर्णीत किया कि जब कोई व्यक्ति भूमि के वितरण की कार्यवाही में पक्षकार न हो तब उसे परिवेदित पक्षकार नहीं माना जा सकता । इस कारण वह पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण का आवेदन पत्र नहीं दे सकता । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1975 एम.पी.एल.जे. 689 व न्यायदृष्टांत 1975 आर0एन0 67 के आलोक में प्रत्यर्थी रामबहादुर द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुए कलेक्टर, पन्ना के आदेश की पुष्टि की थी। अपर आयुक्त, सागर के उक्त आदेश दिनांक 24–9–87 के विरूद्ध प्रत्यर्थी रामबहादुर से इस न्यायालय में निगरानी कमांक 111–पांच/87 पेश की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–5–1988 को आदेश पारित किया जाकर अपर आयुक्त के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का स्वामी व आधिपत्यधारी माना गया है ।

7/ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि राजस्व मंडल के आदेश के 4 वर्ष उपरांत दिनांक 27–7–09 को प्रत्यर्थी रामबहादुर ने नायब तहसीलदार के न्यायालय में पुनः शिकायती आवेदन इस आशय का दिया गया कि आवेदिका की पूर्वाधिकारी रामकली का नाम खसरा नं. 488 रकबा 10.46 एकड़ पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दिया गया है । इस आवेदन पर विचारण न्यायालय ने कार्यवाही प्रारंभ की जिसकी परिणिती यह हुई कि पक्षकारों ने पुनः नायब तहसीलदार, पन्ना के न्यायालय से न्यायिक कार्यवाहियों की परिकमा शुरू

कर प्रकरण इस न्यायालय तक आया । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 6543 प्रस्तुत की जो दिनांक 01–7–2008 को निर्णीत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना को निर्देशित किया गया कि –

" Since the matter is pending for a long time therefore writ petition is disposal of with a direction to the S.D.O. top conduct an enquiry in the terms of the order of remand of the collector and pass fresh order usethem a period of six month from the date of receipt of certified copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय का उक्त निर्देशात्मक आदेश अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के न्यायालय हेतु बंधनकारी था और अनुविभागीय अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन उसी सीमा की परिधि में आदेश पारित करना था किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है, क्योंकि प्रकरण में जो विवाद है वह खसरा नं. 488 के संबंध में था जबकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने खसरा नं. 488 अपीलार्थीगण के स्वामित्व की मानी है तथा खसरा नं. 354/2 रकबा 14.30 एकड़ भूमि जो अपीलार्थीगण के नाम वर्ष 1959 से दर्ज चली आ रही है, में से 10.46 एकड़ भूमि खसरा नं. 354/1 जो शासकीय है में दर्ज करने के आदेश दिए हैं जो अवैधानिक है क्योंकि उनके समक्ष खसरा नं. 354/2 के संबंध में कोई विवाद नहीं था । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में जिस खसरा नं. 488 का विवाद है उस खसरा नं. पर अपीलार्थीगण की पूर्वाधिकारी रामकली का नाम नायब तहसीलदार द्वारा प्र0क0 35/बी–121/72–73 कायम कर जांच उपरांत आदेश दिनांक 31–1–76 द्वारा अंकित किया गया है जैसाकि अभिलेख में संलग्न कलेक्टर पन्ना के निगरानी प्र0क0 14/अ–19/86–87 जिसमें उभयपक्ष पक्षकार हैं, में पारित आदेश दिनांक 2–5–87 की प्रति से स्पष्ट है । इस आदेश में कलेक्टर ने व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 7–9–83 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 22–11–84 के आधार पर आवेदकों के पूर्व भूमिस्वामी के होने की बात का उल्लेख भी किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में रेसजुडीकेटा का सिद्धांत भी लागू

होता है क्योंकि इस वाद बिंदु का निराकरण पूर्व में हो चुका था और प्रकरण राजस्व मंडल तक आया और राजस्व मडल ने दिनांक 10.5.88 को आदेश पारित किया गया जिसे कोई चुनौती प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा नहीं दिए जाने से उक्त आदेश अंतिम हो चुका है । अतः पुनः बाद में प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन के आधार पर कार्यवाही करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । चूंकि भूमि वितरण की कार्यवाही में प्रत्यर्थी रामबहादुर पक्षकार नहीं था अतः उसे परिवेदित पक्षकार नहीं माना जा सकता साथ ही प्रत्यर्थी राम बहादुर को निगरानी व अन्य कोई आवेदन विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । इस विचारणीय बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी कोई विचार नहीं किया व विधिक परिस्थिति को अनदेखा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

8/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन आराजी के संबंध में व्यवहार न्यायालय से भी निर्णय पारित किए जा चुके हैं । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 पन्ना के वाद कमांक 19ए/80 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 7–9–83 को अपीलार्थीगण की पूर्वाधिकारी रामकली के पक्ष में निर्णय व डिकी पारित की गई है व आराजी खसरा नंबर 354/2 रकबा 5.786 हैक्टर एवं आराजी खसरा नं. 488 रकबा 4.233 हैक्टर भूमि अपीलार्थीगण स्वत्व व कब्जे की मान्य करते हुए प्रत्यर्थी राम बहादुर व उसके पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध स्थाई व्यादेश पारित किया जाकर विवादित आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित किया गया है उपरोक्त निर्णयों की प्रतियां व राजस्व न्यायालयों की प्रतियां अभिलेख में संलग्न है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर विचार किया जाना नहीं पाया जाता है । न्याय की मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को अन्यथा न्यायालयीन कार्यवाहियों में उलझाकर न रखते हुए स्थाई न्याय प्रदान की स्थापना की जाये । अतः न्यायदृष्टांत 1975 एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 689 एवं 1975 आर.एन. 67 के आलोक में यह पाया जाता है कि प्रत्यर्थी राम बहादुर प्रश्नाधीन आराजी का हितबद्ध पक्षकार नहीं है क्योंकि वह विवादित आराजी के वंटन की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था अतः उसे विवादित आराजी

के संबंध में ना तो शिकायती आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार था और ना ही अपील या निगरानी प्रस्तुत करने का किंतु प्रत्यर्थी सतत अपीलार्थीगण के विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही का प्रकरण चलाता रहा व दोनों पक्षों के मध्य एक लंबे अंतराल के दीवानी वाद व राजस्व प्रकरण चलाए जा रहे हैं, जिनका कोई न्यायिक औचित्य व आधार नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किये गये हैं । अतः उनके आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–13 व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–3–15 निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन भूमि पर से अपीलार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों से काटा गया हो तो उसे पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकत किया जाये एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर